

राजस्थान सरकार
उद्योग (गुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(5) उद्योग/गुप-2/2011

जयपुर, दिनांक 11.09.2020

:- आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.11.2011 द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य में प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना (Training Programmes on Export Promotion, Procedure and Documentation) जारी की गई।

तत्पश्चात इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.09.2017 द्वारा उक्त योजना की अवधि में 3 वर्षों (दिनांक 31.03.2020 तक) के लिए अभिवृद्धि की गई थी।

अब उक्त योजना की अवधि में आगामी 3 वर्षों (दिनांक 31.03.2023 तक) के लिए अभिवृद्धि किये जाने की राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के मितव्ययता परिपत्र 03.09.2020 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित किये जाने के अधीन दी जाती है।

उक्त आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा आई.डी. संख्या 162000652 दिनांक 08.09.2020 पर प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती हैं।


राज्यपाल की आज्ञा से,

(चिन्मयी गोपाल)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
2. निवासी, लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. आयुक्त, उद्योग विभाग, राज0 जयपुर ।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, जयपुर ।
5. विशेषाधिकारी, आयोजना विभाग ।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर ।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग राज0 जयपुर ।
8. कोषाधिकारी, सचिवालय कोष, जयपुर ।
9. उद्योग (पी.पी.सी) विभाग,
10. रक्षित पत्रावली ।


(अशोक कुमार शर्मा)
अनुभागाधिकारी